निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या 05/2024

बृजराज पुत्र श्री कजोडीलाल आयु 73 साल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नांगलहेडी तहसील सांगोद जिला कोटा निवासी म.नं. 1/141, स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा जिला कोटा। —प्रार्थी—

—बनाम—

1. भंवरलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति मेहर निवासी ग्राम नांगलहेडी,
2. अर्जुन पुत्र आनन्दीलाल जाति नायक निवासी ग्राम नांगलहेडी,
3. गोपाल पुत्र किशनलाल जाति नायक निवासी ग्राम नांगलहेडी,
4. बाबू पुत्र कल्याण जाति नायक निवासी ग्राम नांगलहेडी,
5. राधेश्याम पुत्र आनन्दीलाल जाति नायक निवासी ग्राम नांगलहेडी,
6. रामनिवास पुत्र किशनलाल जाति नायक निवासी ग्राम नांगलहेडी तह सांगोद,
7. भूमिधारी राज्य सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सौंगोद जिला कोटा,
8. कैलाशबाई पुत्री श्री आनन्दीलाल जाति नायक(डिलिट),
9. कस्तूरी पुत्री श्री हरलाल जाति नायक(डिलिट),
10. गेन्दीबाई पत्नी श्री आनन्दीलाल जाति नायक(डिलिट),
11. द्वारक्या पत्नी श्री कल्याण जाति नायक(डिलिट),
12. बदामबाई पुत्री श्री आनन्दीलाल जाति नायक,
13. बरजी पत्नी श्री किशनलाल जाति नायक(डिलिट),
14. भजनीबाई पुत्री श्री आनन्दीलाल जाति नायक,
15. भंवरी पुत्री श्री हरलाल जाति नायक(डिलिट),
16. राजीबाई पुत्री श्री आनन्दीलाल जाति नायक,
17. रामभरोस पुत्र श्री किशनलाल जाति नायक,
18. ललिता पुत्री श्री किशनलाल जाति नायक,
19. हेमराज पुत्री श्री कल्याण जाति नायक(डिलिट),
20. हीरा पुत्री श्री कन्याण जाति नायक निवासीगण ग्राम नांगलहेडी,
21. किशनगोपाल पुत्र श्री नारायण जाति मेहर,
22. गोरधनीबाई पुत्री श्री चतुर्भुज जाति मेहर,
23. गोविन्दप्रसाद पुत्र श्री चतुर्भुज जाति मेहर,
24. चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री भैरू जाति मेहर,
25. पुरुषोत्तम पुत्र श्री नारायण जाति मेहर,
26. फूतरी पुत्री श्री रामचन्द्र जाति मेहर,
27. मंजू पुत्री श्री भैरू जाति मेहर,

28. मोत्या पुत्री श्री रामचन्द्र जाति मेहर(डिलिट),
29. रमेशचन्द्र पुत्र श्री नारायण जाति मेहर,
30. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री नारायण जाति मेहर,
31. रामगोपाल पुत्र श्री चतुर्भुज जाति मेहर,
32. रामेश्वर पुत्र श्री नारायण जाति मेहर,
33. लटूर पुत्र श्री रामचन्द्र जाति मेहर(डिलिट),
34. लटूरबाई पुत्री श्री नारायण जाति मेहर,
35. लीला पुत्र श्री भैरू जाति मेहर,
36. विमला पुत्री श्री भैरू जाति मेहर,
37. शान्तिबाई पत्नी श्री चतुर्भुज जाति मेहर(डिलिट),
38. मदनी पुत्री श्री कन्हैयालाल उर्फ काना जाति मेहर,
39. कस्तूरीबाई पत्नी श्री रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवान नांगलहेडी तहसील सांगोद जिला कोटा,
40. मांगीबाई पत्नी श्री पुरूषोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी ग्र तहसील खानपुर जिला झालावाड।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 एलआरएक्ट 1956

उपस्थित :–

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील प्रार्थी)

श्री बहादुरसिंह (वकील अप्रार्थी)

–: आदेश :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128, 111 एल.आर.एक्टइस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 344 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नंबर 346 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 0.71 हैक्टर वाके ग्राम नांगलहेडी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है जो प्रार्थी के शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग की आराजी है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित खसरा नंबर 344, 346 की एकचक आराजी है जिसके पूरब दिशा में खसरा नंबर 348, 350 की आराजी है जो अप्रार्थी कं. 1 की काश्त में है एवं दक्षिण में खसरा नंबर 431, 342, 343 की आराजी है जो अप्रार्थी क्रं. 2 लगायत 6 की काश्त में है। अप्रार्थीगण को प्रार्थी की आराजी में किसी प्रकार से हस्तक्षेप, दखलंदाजी, अतिक्रमण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है किन्तु इसके बावजूद अप्रार्थी 1 लगायत 6 आये दिन प्रार्थी की आराजी की पूर्वी मेड व दक्षिणी मेड को अवैध रूप से फाडकर अपने खेतों में मिलाने का प्रयास करते हैं। प्रार्थी की ओर से उक्त संबंध में अप्रार्थीगण को समझाया जाता है तो अप्रार्थीगण विवाद करते हैं। प्रार्थी वर्तमान में पेंशनर वृद्ध व्यक्ति है जो वर्तमान में कोटा निवास करता है जिसके कारण प्रार्थी शारिरिक रूप से कमजोर होने से अप्रार्थीगण का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी के लिए अपनी आराजी खसरा नंबर 344 रकबा

0.61 हैक्टर, खसरा नंबर 346 रकबा 0.10 हैक्टर कुल 0.71 हैक्टर की पूर्वी मेड व दक्षिणी मेड की पत्थरगडी करवाना आवश्यक हो गया हैं। भूमिधारी होने से राज्य सरकार को जरिये तहसीलदार साँगोद अप्रार्थी क्रं. 2 की हैसियत से पक्षकार बनाया है। प्रार्थी का प्रथमदृष्टया केस है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि बहक प्रार्थी व खिलाफ अप्रार्थीगण निम्न आशय की आज्ञा पारित फरमायी जावे कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित माल ग्राम नांगलहेडी तहसील साँगोद जिला कोटा में स्थित प्रार्थी के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 344 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नंबर 346 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 0.71 हैक्टर की पूर्वी मेड व दक्षिणी का सीमांकन कर पत्थरगडी कर मुस्तकिल सीमाचिन्ह कायम किया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी अप्रार्थी कं. 1 लगायत 4 की ओर से इस आशय का जवाब प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थना पत्र की मद न02 लिखी अनुसार अस्वीकार है, उक्त मद मे वर्णित अनुसार आराजी के रेकार्ड मे विधिवत बंटवारा नही होने से उक्त मद लिखी अनुसार कब्जा काश्त अस्वीकार है, तथा सभी सहखातेदारान को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। जिसके अभाव मे उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। यहकि प्रार्थना पत्र की मद न03 मिथ्या, मनगढन्त व बनावटी होने से स्वीकार नही है, अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी को ही काश्त किया जा रहा है, किसी प्रकार से कोई मेड नही फाडी है। तथा फिर भी यदि प्रार्थी पत्थरगडी करवाना चाहता है, तो पहले अप्रार्थी कम 1 ता 4 के हिस्से व खसरा नम्बर का रकबे अनुसार पैमाइश कर आराजी पूरी (रकबा पूर्ण) होने व उसकी पत्थरगडी किये जाने के बाद प्रार्थी की आराजी की पत्थरगडी किये जाने मे हमे कोई आपत्ति नही है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई विवाद आज तक पैदा नही किया है, बल्कि प्रार्थी स्वयं ऐनकेन प्रकारेण वादकारिता पैदा करने पर आमादा है, प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई अपरिमित क्षति होने की संभावना नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रथमदृष्टया केस व सुविधाओं का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी की ओर से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी शपथकर्ता के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 344 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नंबर 349 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 0.71 हैक्टर आराजी वाके ग्राम

नांगलहेडी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है जो प्रार्थी के शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग की आराजी है तथा प्रार्थी की उपरोक्त 0.71 हैक्टर आराजी के पूरव दिशा में खसरा नंबर 348, 350 की आराजी को पारिवारिक सहमति अनुसार वर्षों से मौके पर अप्रार्थी कं. 1 भंवरलाल काश्त करता है एवं प्रार्थी की आराजी के दक्षिण में स्थित खसरा नंवर 341, 342, 343 की आराजी को मुताबिक पारिवारिक सहमति के वर्षों से अप्रार्थी कं. 2 लगायत 6 अर्जुन, गोपाल, बाबू, राधेश्याम, रामनिवास मौके पर काश्त करते चले आ रहे हैं। इनके अलावा अन्य सहखातेदारों का उक्त भूमि पर मौके पर कब्जाकाश्त नहीं है। वकील प्रार्थी ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 902 DNJ(Raj.) 2025(2) प्रस्तुत किया जिसमें माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल द्वारा निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

Civil Procedure Code] 1908 Sec- 151 - Rajasthan Land Revenue Act] 1956-Secs- 111 - 128 Application filed to implead all the adjoining khatedar of the land-Non-petitioners Impleaded to those persons having dispute Petitioner failed to establish that how they are necessary parties-Held, Order rejecting application is upheld. (Paras 6 – 7)

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पारित सिद्धान्त हस्तगत पत्रावली की परिस्थितियों से मेल खाते हैं। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात, पक्षकारों के अभिवचनों, एवं विधि के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझती हूं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते हैं कि तहसीलदार सांगोद माल ग्राम नागलहेडी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित प्रार्थी के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 344 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नंबर 349 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 0.71 हैक्टर आराजी का सीमांकन कर पत्थरगडी कर मुस्तकिल सीमाचिन्ह कायम कर पालना रिपोर्ट अन्दर 15 दिवस इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनॉक 4/3/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद